

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, बालोतरा

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कैम्प कोर्ट) कैम्प: गोलेशेर

-:आदेश:- 164/2018

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी गोलेशेर व भू.अ.नि. इषा की रिपोर्ट तथा तहसीलदार / नायब तहसीलदार जसोत की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम गोलेशेर तहसील (जयपुर) जिला (जयपुर) की जमाबन्दी सम्वत् 2071-2074 में खाता संख्या 28, 27 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

| क्र.सं. | ग्राम | खाता संख्या | वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि) | आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है) |
|---------|---------|-------------|--------------------------------------|--|
| | गोलेशेर | 27, 28 | सताराम पुत्र रामसुखराम | सती राम पुत्र समसुकरा स. 8 समसुकरा |

(सागरथ राम)
पीठासीन अधिकारी / कोर्ट कैम्प-2018
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर
बालोतरा उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर,
पदेन सहायक कलेक्टर,

दिनांक :- 8/5/10

क्रमांक :- 561-562

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार जयपुर को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री सती राम / रामसुखराम को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

(भूपेन्द्र कुमार)
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कोर्ट कैम्प-2018
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर
बालोतरा कैम्प